राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2484/2025

रविन्द्र सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : डॉ. सुरेन्द्र सिहं, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण सहायक अभियंता, (मोने.) नगर खण्ड, भरतपुर से सहायक अभियंता, उपखण्ड कल्याणपुर, बाडमेर में किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–1354/2025 में चुनौती दी थी। उक्त अपील में अधिकरण ने यह आदेश पारित किया था कि अपीलार्थी रिक्त पद दर्शाते हुए 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के समक्ष अधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये थे कि उपरोक्त आशय से प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसका नियमानुसार निस्तारण कर आख्यात्मक आदेश पारित करे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश की पालना में एक अभ्यावेदन दिनांक 06.03.2025 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी ने यह बिन्दु उठाये थे कि अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में भरतपुर में कार्यरत है एवं राज्य सरकार की यह नीति रही है कि पति–पत्नी

दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें एक ही स्थान पर कार्यरत रखा जाए। इसके अलावा अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया था कि अपीलार्थी की 6 वर्षीय पुत्री है और अपीलार्थी की पत्नी गर्भवती है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध होने के कारण बीमार रहते हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। ऐसे में अपीलार्थी को भरतपुर से स्थानांतरित किया जाना उचित नहीं है। इसके साथ ही अपीलार्थी ने भरतपुर में रिक्त पदों की सूचना भी दी थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 30.03.2025 के द्वारा किया गया है एवं अभ्यावेदन को खारिज किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि इस अधिकरण के आदेशानुसार अभ्यावेदन के निस्तारण में कोई आख्यात्मक आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जो आधार उठाये थे, उन आधारों पर कोई विवेचना नहीं की गयी है। प्रत्यर्थी विभाग ने इस बिन्दु पर मत व्यक्त नहीं किया है कि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर उन्हें एक स्थान पर पदस्थापित रखा जाना क्यों उचित नहीं है। अपीलार्थी की पत्नी गर्भवती है, इस आधार पर भी कोई विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार अभ्यावेदन के निस्तारण में अपीलार्थी की परिवेदनाओं पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यावेदन निस्तारण का आदेश दिनांक 30.03.2025 एवं स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने अभ्यावेदन में जो आधार दिये थे उन आधारों को आदेश दिनांक 30.03.2025 में अंकित तो किया गया है, परन्तु उन आधारों पर कोई विवेचना नहीं की गयी है। केवल यह अंकित किया गया है कि स्थानान्तरण नीति के आधार पर अभ्यावेदन खारिज किये जाने योग्य है। हम पाते हैं कि अभ्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार नहीं किया गया है। हम यह भी पाते हैं कि स्थानान्तरण नीति में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि यथा संभव पति–पत्नी दोनों को एक ही स्थान पर कार्यरत रखा जाना चाहिए, जिस नीति पर भी विचार नहीं किया गया। अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। अभ्यावेदन के निस्तारण में स्थानान्तरण नीति पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया और न ही अभ्यावेदन में लिये गये विशिष्ट बिन्दुओं पर कोई विवेचना की गयी। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक

30.03.2025 (अनुलग्नक–2) अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पुनः विस्तारपूर्वक कर नये सिरे से आख्यात्मक आदेश पारित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर पुनः निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे, जहां पर अपीलार्थी आदेश दिनांक 15.01.2025 पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)